कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / 1512 दिनांक 7 / 8 / 2015

विषयः निरीक्षण नोट ।

कार्य का नाम : **C/o Govt. Sr.Sec. School at Madanpur Khadar, Phase-II, New Delhi.**
SH: Civil & Electrical works (Composite work).
Agreement No. 38/EE/CBMD M-423/2014-15.

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 06.08.2015 को उपरोक्त कार्य का निरीक्षण कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता तथा ठेकेदार के प्रतिनिधि के साथ किया और निरीक्षण के दौरान पाया कि :–

1 स्कूल के एक खण्ड के कॉलम टैरेस लेवल पर पहुंच गया है और शटरिंग के पश्चात् सरिया बांधा जा रहा है । कॉलम के सरिये को नक्शे के अनुसार बीम में मोडा जाये ।

2 स्कूल के एक खण्ड के प्रथम तल पर शटरिंग का कार्य प्रगति पर है । शटरिंग में प्रयोग की जाने वाले प्लाई कई स्थानों पर बहुत खराब स्थिति में है और उसे तुरन्त बदला जाये तथा सही गुणवत्ता की प्लाई लगायी जाये । बीम की मोटाई सही रखने के लिए उचित व्यवस्था की जाये ।

3 स्कूल में दीवारे की चिनाई ACC ब्लॉक के साथ की जा रही है । अनेक स्थानों पर टूटे हुए कोने वाले ACC ब्लॉक का प्रयोग किया किया गया है जोकि उचित नहीं है । ईटों की चिनाई के जोडों की मोटाई एकसमान नहीं है और कई स्थानों पर मोटाई बहुत अधिक है ।

4 कार्यस्थल पर प्रयोग की जाने वाली ईटों की गुणवत्ता बहुत खराब है । कार्यस्थल पर उपलब्ध ऐसी ईटों को तुरन्त हटा दिया जाये और सही गुणवत्ता की ईटों का नमूना जांच करने के पश्चात् ईटें कार्यस्थल पर लायी जाये ।

5 भवन में लेबर रह रही है उन्हें तुरन्त हटाया जाये । कार्यस्थल पर सुरक्षा संहिता का अनुपालन नहीं हो रहा है । ठेकेदार को निर्देश दिया जाये कि करार के खण्ड–19 के अनुसार श्रम नियम तथा आदर्श नियमों का अनुपालन ठेकेदार द्वारा पूर्ण रूप से किया जाये ।

6 कार्यस्थल पर कार्य का विस्तृत प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है और न ही किए गए कार्य के फोटो इत्यादि उपलब्ध है ।

7 आर.सी.सी. सतह पर भवन के बहुत से भाग में Hacking नहीं की गई है जाकि शटरिंग खोलने के समय करनी जरूरी है ।

8 तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन के द्वारा किए गए निरीक्षण का विवरण केवल एक रजिस्टर में रखा गया है जिसपर कार्यवाही के लिए ठेकेदार को साईट पर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है । तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन के करार के प्रावधानों के पैरा–4 में दर्शाए गए अनेक विवरण कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है । कार्यपालक अभियंता को पहले ही यह लिखा गया है कि गुणवत्ता आश्वासन को करार की शर्तों के अनुसार निरीक्षण तथा नमूनों की जांच का पूरा विवरण रखा जाये और इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये ।

9 अभी तक कार्य में भवन सामग्री के नमूनों की जो जांच की गई है उनका विवरण बनाकर शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें और यह सुनिश्चित करें कि विनिर्देश तथा करार की शर्तों के अनुसार सभी जरूरी टेस्ट किये जा रहे हैं ।

10 कार्य में प्रयोग किये जाने वाले Steel reinforcement तथा सीमेंट जोकि ठेकेदार लाया है बिलों की प्रतियाँ रिकार्ड के लिए कार्यस्थल पर रखी जायें और यह सुनिश्चित किया जाये कि करार की शर्तों में दर्शाए गए ब्राण्ड भी देख लिये जाये । पूर्ण विवरण इस कार्यालय को भी भेजें ।

11 कार्य का निरीक्षण विभाग के वरिष्ठ वास्तुक तथा कार्यपालक अभियंता (वै-) के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण किया जाये और उनके लिखित निरीक्षण की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जाये और कार्यस्थल पर रखी जाये ।

7/8/15

अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम–4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन, नई दिल्ली ।
2 कार्यपालक अभियंता एम–423, हौजखास, नई दिल्ली ।

अधीक्षण अभियंता